

पत्र सं० 14 फास सं० 5651 (बोर्ड के आदेश सं० 4116 की ता० 12-8-11 में अनुमोदित) (स्थायी रूप से रक्षणीय)
फास सं० 508

राजस्थान न्यायालय पुलिस सुधार उप समिति, दुमका

संयुक्त मुख्य - पृष्ठ और पत्रावरण
(हेडिंग नियम 127 अभिलेख-कस्तक, 1991)
विभाग

(पत्रका पत्रा)
S.R फास नं० 3/13-14 वर्ष रजिस्टर सं०
इस्टेट 79/05-06 परगना तीली सं०
10

अधीकार - **जोधपुर हेल्थर** प्रतिपक्षी **1/अना संभल**
सं० **गौजा - वर (राजी)** के अधीन

अधिनियम निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाईल किया गया	पत्रों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अनुदिन
1		3	4	5	6	7

27/8/13
24/9/13

8 प
की क्र०
तारीख

23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई
के बारे में टिप्पणी तारीख

18-11-22

अगिलेख उपस्थापित /

आवेदक एवं विपत्ती अनुपस्थापित / अगिलेख

दिनांक 23-12-22 की शर्तें /

श्रीम. सुव्या. उपसमाधी
दुमका /

23-12-22

अगिलेख उपस्थापित /

आवेदक एवं विपत्ती अनुपस्थापित /

अगिलेख दिनांक 20-1-23 की शर्तें /

श्रीम. सुव्या. उपसमाधी
दुमका /



20-1-23

अगिलेख उपस्थापित /

आवेदक एवं विपत्ती अनुपस्थापित /

अगिलेख दिनांक 14-2-23 की शर्तें /

श्रीम. सुव्या. उपसमाधी
दुमका /

क्रम और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
अभिलेख उपस्थापित।	<p>अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद में कोई अभिरूची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उभयपक्ष की अभिरूची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	
	<p> 20-1-2025</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।</p>	<p> 20-1-2025</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका।</p>